

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/बजट/डी/01/4396/2018-19/101
प्रति,

भोपाल, दिनांक:- 12-6-18

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी,
भितरवार, जिला ग्वालियर।

विषय:- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद 4396-11-009 में आवंटन स्वीकृति के संबंध में।

-----00-----

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद योजना 4396-11-009 अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के प्रकरण में निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


बजट शीर्ष / मांग संख्या	आवेदक का नाम, पदनाम एवं पदस्थापना	डीडीओ कोड क्रमांक एवं डीडीओ के नाम	स्वीकृत राशि
27 शिक्षा (प्रा. शिक्षा) 2202 सामान्य शिक्षा 01 प्रारंभिक शिक्षा 101 राजकीय प्रा. वि. 4396 सरकारी प्रा. विद्यालय 11 वेतन भत्ते 8888	1. इंद्रपाल सिंह, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर, ग्वालियर।	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भितरवार। 1422003028	1,73,457
V मतदेय 009 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति			
कुल योग (एक लाख तेहत्तर हजार चार सौ सत्तावन रुपये मात्र।)			कुल योग:- 1,73,457/-

उपरोक्त आवंटन निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. प्रकरणों में भेजे गये पत्रों की छायाप्रति का मिलान मूल प्रतियों से आहरण संवितरण अधिकारी करें।
2. म.प्र. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम- 1958 के तद्विषयक प्रावधान एवं तत्संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करें।
3. मांग की गई राशि संबंधित कार्यालय की अनुशंसा के आधार पर जारी की जा रही है। यदि त्रुटिपूर्ण/नियम विरुद्ध भुगतान होता है, तो इसके लिए संबंधित कार्यालय पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा।
4. राशि जिस अधिकारी/कर्मचारी हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका भुगतान उसी अधिकारी/कर्मचारी को किया जायेगा।

स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 तक भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित व्यय का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। यदि किसी भी समय यह प्रतीत होता है कि उक्त राशि या उसके किसी अंश का व्यय दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व किया जाना संभव नहीं है, तो उसे तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा किया जा सके।

“आयुक्त द्वारा स्वीकृत ”


(संजय कुमार)
संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण, म.प्र.।